an>

Title: Need to include Rajasthani language in Eighth Schedule of the Constitution

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आठ-नौ करोड़ लोग पिछले कई वर्षों से, यदि मैं कई दशकों को कहूँ, तो ज्यादा उपयुक्त होगा, अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जितनी भाषाएँ दर्ज़ हैं, उन 22 भाषाओं में से 17 भाषाएँ ऐसी हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या राजस्थानी भाषा से कम है। पिछले अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद जब महापात्र कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से राजस्थानी और भोजपुरी, दो ऐसी भाषाएँ हैं, जिनको तुरंत मान्यता दी जानी चाहिए और ये भाषाएँ इसके सर्वथा योग्य भी हैं। राजस्थानी भाषा दुनिया की सबसे समृद्ध वोकैबुलरी वाली भाषा है। 11वीं शताब्दी के गद्य और पद्य दोनों के उल्लेख इस भाषा में मिलते हैं। 14वीं शताब्दी का साहित्य भी इस भाषा में उपलब्ध है। ऐसी भाषा को, जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या आज नौ करोड़ है, उन नौ करोड़ लोगों की भाषा को संविधान की अनुसूची में दर्ज़ नहीं किया गया है। पिछली सरकार के समय में तत्कालीन गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी और गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने लोक सभा की कार्यवाही के दौरान इस बात का आश्वासन दिया था कि शीघ्र इस भाषा को अनुसूची में दर्ज़ कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज़ किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sunil Kumar Singh, Shri C.R. Chaudhary and Shri Sumedhanand Sarswati are permitted to associate with the issue raised by Shri Gajendra Singh Shekhawat.